राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1859/2014/जयपुर

मैसर्स पिंक सिटी मोटर्स प्रा0लि0,
टोंक फाटक, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत राजस्थान, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

.....अपीलार्थी अनुपस्थित

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर

निर्णय दिनांक : 06/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 55/अ.प्रा. II/आरवीएटी/जयपुर/2013–14 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 02.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 61 एवं 55 के तहत पारित आदेश दिनांक 25.03.2013 के अन्तर्गत कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 27.06.2012 को किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में होण्डा कंपनी की निर्मित 446 वाहनों के विक्रय पर क्रेता व्यवहारियों से लॉजिस्टिक राशि के रूप में रूपये 22,30,000/– का भुगतान प्राप्त किया जाकर इस राशि पर वैट का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वसूल किये गये लॉजिस्टिक चार्जेज को वेट अधिनियम के तहत विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए लॉजिस्टिक चार्जेज की राशि पर 14 प्रतिशत की दर से कर रूपये 3,12,200/– आरोपित किया गया तथा आरोपित कर के अदेय रहने के कारण अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 56,196/– आरोपित किया गया। सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी की करापवंचना की मंशा मानते हुए कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति अन्तर्गत धारा 61 को अपास्त करते हुए कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की। जिसके विरूद्ध यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई हैं।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने विक्रय किये गये माल पर क्रेता व्यवहारियों से लॉजिस्टिक राशि के रूप में भुगतान प्राप्त किया है तथा इस राशि पर वेट का भुगतान नहीं किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी

लगातार.....2

व्यवहारी द्वारा विक्रय बिलों में वसूल किये गये लॉजिस्टिक चार्जेज को वेट अधिनियम के तहत विक्रय बिलों में वसूल किये गये लॉजिस्टिक चार्जेज को वेट अधिनियम के तहत विक्रय मूल्य भाग मानते हुए लॉजिस्टिक चार्जेज की राशि पर करारोपण किया गया। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. उक्त प्रकरण की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य **माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 627 से 629/2015/जयपुर मैसर्स बजाज फाईनेंस लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 09.02.2017 एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 बनाम सीटीओ 47 टीयूडी पार्ट 4 पेज 171 निर्णय दिनांक 20.12.2016 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है।** अतः उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य